# अशौच निर्णय

खेमराज श्रीकृष्णदास
प्रकाशन

श्रीः

# अशौचनिर्णय

पं० श्रीत्र्यंबककृत संस्कृतफक्किका तथा

बेरीनिवासी पं० श्रीबस्तीरामजीकृत

हिन्दीटीकासहित

---

मुद्रक एवं प्रकाशकः

खेमराज श्रीकृष्णदास,

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,

खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, मुंबई - ४०० ००४.

संस्करण : मार्च २००९, सम्वत् २०६५

मूल्य १० रुपये मात्र।



मुद्रक एवं प्रकाशक :
खेमराज श्रीकृष्णदास,
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, बम्बई–४०० ००४.

Printers & Publishers
Khemraj Shrikrishnadass
Prop: Shri Venkateshwar Press
Khemraj Shrikrishnadass Marg,
7th Khetwadi, Mumbai - 400 004.

Web Site : http://www.khemraj.com
E-mail : khemraj@khemraj.com

Printed by Sanjay Bajaj for M/s Khemraj Shrikrishnadass Prop. Shri Venkateshwar Press, Mumbai - 400 004, at their Shri Venkateshwar Press, 66 Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411 013.

# प्रस्तावना

महाशय पाठकगण ! यह ग्रंथ तो अतिलघु है, तथापि विषय सर्वोपयोगी है, क्योंकि इसमें सूतक वगैरह का निर्णय है सो मनुष्यमात्रको जरूरत पड़ती है. देखिये बड़े २ शहरोंमें तो विद्वान् पण्डित निवास करते हैं जिन्हें पूंछके मनुष्य अपना शंका समाधान कर लेते हैं परन्तु छोटे २ ग्रामोंमें भूदेव (पण्डित) नहीं तहां अति कठिनता हो जाती है सो इस पुस्तकको अवलोकन करनेसे सर्व साधारण मनुष्य जो केवल हिन्दी अक्षर मात्र जानते हैं वह भी अपने कार्य कर सकेंगे । यही समझकर बेरीनिवासी पण्डित वस्तीरामजीकृत टीकासहित इस पुस्तक को हमने छापा है । आशा है कि इससे सर्वसाधारणका सन्देह निवृत्त होगा । इस आवृत्तिमें पण्डितों द्वारा यह ग्रन्थ और भी शुद्ध कराया गया है तथापि अनवधानतासे रही हुई भूलको पाठक क्षमा करेंगे ।

आपका कृपाकांक्षी–

**खेमराज श्रीकृष्णदास,**

"श्रीवेंकटेश्वर" स्टीम् प्रेस–बम्बई.

श्रीः

# अथाशौचनिर्णयः

( हिन्दीटीकासमेतः )

श्रीगणेशाय नमः ।। गणाधिपं नमस्कृत्य प्रत्यूहाद्रिपविं कविम् ।। त्र्यंबकेणाशुबोधाय क्रियतेऽशौचनिर्णयः ।। १ ।।

विघ्नरूप पर्वतको नष्ट करनेमें वज्ररूप और कवि याने सर्ववेत्ता विद्वान् ऐसे गणेशजीको नमस्कार कर त्र्यंबक विद्वानने शीघ्र ही बोधके वास्ते यह 'अशौचनिर्णय' बनाया है ।। १ ।।

अर्थतः शब्दतश्चेह पौनरुक्त्यं न दुष्यति ।। स्फुटबोधाय बालानां ग्रंथोऽयं रच्यते यतः ।। २ ।।

इस ग्रंथमें अर्थ वा शब्दसे पुनरुक्ति होनेका दोष नहीं समझना, क्योंकि यह ग्रंथ बालकोंके बोधके वास्ते सरल बनाया है ।। २ ।।

अत्र प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षा इति गौतमोक्तेरनुपनीतस्य सपित्रादिसंस्कारं विनाऽशौचे नाधिकारः ।। उपनयनोत्तरमपि ब्रह्मचारिणः पित्राद्यंतकर्मकरण एवाशौचाधिकारो नान्यत्र ।। तस्माद्द्विजानांसमावर्तनोत्तरं निरंकुशोऽशौचाधिकारः ।। स्त्रीशूद्रयोस्तु विवाहस्योपनयनस्थानापन्नत्वेन विवाहोत्तरमेवाशौचाधिकारः ।। १ ।।

यहां उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार हुए विना यथेष्ट विचरना, यथेष्ट वाद विवाद करना, यथेष्ट भोजन करना कुछ दोष नहीं है. ऐसे गौतमजीकी उक्तिसे यज्ञोपवीत संस्कार जिसका नहीं हुआ हो उसको अशौच नहीं लगता है परंतु पिता आदिका संस्कार (कर्मक्रिया) करे तो उसको भी अशौच लगता है और जो यज्ञोपवीत संस्कार धारण कर ब्रह्मचारी हो गया हो उसको अशौच नहीं लगता, किंतु पिता आदिकी क्रिया कर्म करेगा तो उसको भी अशौच लगेगा अन्य जगह नहीं लगता, इसलिये द्विजाति याने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके यज्ञोपवीत संस्कार होनेके अनंतर प्रबल अशौच अवश्य लगता है; और स्त्री तथा शूद्रका तो जो विवाह होता है यही संस्कारकी जगह है. इसलिये विवाह होनेके बाद अशौच (पातक) जानना ।। १ ।।

**अथ जननाशौचम् ।। गर्भिण्या मासचतुष्टयपर्यंतं गर्भनाशः स्राव इत्युच्यते ।। तदा गर्भिण्या मासत्रयपर्यंतं त्रिरात्रं चतुर्थमासे चतूरात्रमाशौचम् अस्पृश्यत्वम् ।। पित्रादिसपिंडानां स्रावमात्रे स्नानाच्छुद्धिः ।। २ ।।**

अब जन्ममें जो सूतक लगता है उसकी विधि कहते हैं—चार महीनों तक गर्भिणीका गर्भ गिरजावे तो वह गर्भस्राव कहलाता है तहां तीन महीनोंतक गर्भिणीको तीन रात्रिका सूतक और चौथे महीनेमें चार रात्रितक अशौच है तथा अस्पृश्यत्व है याने

चार दिनतक वह स्त्री स्पर्श करने योग्य नहीं है. स्रावमात्र होने पर पिता आदि सपिंड पुरुषोंको स्नानमात्रसे शुद्धि है ।। २ ।।

**गर्भिण्याः पंचमषष्ठमासयोर्गर्भनाशः पात इत्युच्यते ।। तत्र गर्भिण्या माससंख्यया पंच षट् च दिनानि क्रमेणा-स्पृश्यत्वावहमशौचम् ।। पित्रादिसपिंडानां तु त्रिरात्रं जननाशौचं मृताशौचं तु नास्ति ।। इदमेतावत्पर्यंतं सर्ववर्णसाधारणं वयोऽवस्थानिमित्तत्वात् ।। ३ ।।**

जो गर्भिणीका पांचवे वा छठे महीनेमें गर्भ नाश भया हो वह गर्भपात कहलाता है. तहां गर्भिणीको महीनेकी संख्या अनुसार पांच हो तो ५, ६ हो तो ६ दिनका सूतक कहना और क्रमसे उतनेही दिनोंका अस्पृश्यत्व अशौच कहना और पिता आदि सपिंड पुरुषोंको ३ रात्रिका सूतक कहना. यह सूतक उस गर्भके जन्मका है, मरणका सूतक तो कुछ भी नहीं इस प्रकार यह गर्भपातका सूतक सब वर्णोंको समान लगता है क्योंकि यह गर्भकी अवस्था ही निमित्त है जाति निमित्त नहीं है ।। ३ ।।

**गर्भिण्याः सप्तममासप्रभृति प्रसवे सर्वेषां मातृपित्रादीनां सपिंडानां विप्राणां दशाहम् ।। क्षत्रियाणां द्वादशाहम् ।। वैश्यानां पंचदशाहम् ।। शूद्राणां मासम्[1] ।। सच्छूद्रस्य**

---

१ संकरजातीनां शूद्रवत् । विज्ञानेश्वरस्तु नैषामाशौचं किन्तु स्नानमात्रमित्याह सर्ववर्णेषु दशाहं वा ।

**मासार्द्धं जननाशौचम् ।। मृताशौचं तु नास्ति ।। सापत्न-मातुः सर्वत्र पितृवत् ।। ४ ।।**

और सातवां महीना पीछे गर्भिणीका गर्भपात होवे तो माता पिता आदि संपूर्ण जनोंके ब्राह्मणोंको १० दिनका सूतक लगता है और क्षत्रियोंको बारह दिनका वैश्योंको पंद्रहदिनका और शूद्रोंको एक महीनेका सूतक लगता है और वर्णसंस्कर जातियोंको शूद्रके तुल्य सूतक जानना. विज्ञानेश्वरका तो यह मत है कि वर्णसंकर जातिको सूतक ही नहीं है किंतु स्नानमात्रसे शुद्धि है अथवा सभी वर्णोंको दश ही दिनका सूतक लगता है। वह जो बालक जन्मा है उसके जन्मका सूतक श्रेष्ठशूद्रको १५ दिनका है और तत्काल मरजानेका आशौच नहीं है और सौत माका पिताके तुल्य सूतक लगता है ।। ४ ।।

**जननाशौचे गर्भिण्याः दशाहमस्पृश्यत्वम् ।। पितुः सापत्न-मातुश्च स्नानात्प्रागस्पृश्यत्वम् ।। स्नानोत्तरं स्पृश्यत्व-मेव ।। किंतु सर्वत्र सपिंडानां कर्मानधिकारमात्रम् ।। तत्रापि नालच्छेदनात्पूर्वं जातकर्मदानादौ पितुरधि-कारः ।। एवं प्रथमषष्ठदशमदिवसेषु जन्मदाख्यदेवता-पूजायां च पितुर्वचनादधिकारः ।। कूटस्थमारभ्य सप्त-पुरुषपर्यन्तं सपिंडाः ।। ततः सप्त सोदकाः ।। ततः सप्त सगोत्राः सोदकानां तु त्रिरात्रमाशौचम् ।। सगोत्राणां स्नानमात्रम् ।। ५ ।।**

जन्मके अशौचमें दशदिन गर्भिणीको अस्पृश्यत्व है अर्थात् स्पर्श नहीं करना चाहिये और सापत्नमाता याने बालकके पिता की अंन्यस्त्रियोंके और पिताके स्नानकिये बिना तो अस्पृश्यत्व है और स्नान किये पीछे किसी वस्तुको स्पर्श करे तो कुछ दोष नहीं है किन्तु सर्वथा सभी सपिंड पुरुषोंको कर्मका अधिकार नहीं है. तहां भी जबतक बालककी नालछेदन नहीं की जाती है तब-तक उसके पिताको जातकर्मके दान आदिकोंमें अधिकार है इसी प्रकार पहिला, छठा, दशवां दिनमें जन्मदा नामक देवता की पूजा करनेमें (श्रुतिके) वचनसे पिताको अधिकार है. कूटस्थ जिससे पीढ़ी फटी हो ऐसा पुरुष लेकर सातवां पुरुषतक सपिंड कहाते हैं और उसके पीछेके सात ७ सोदक कहलाते हैं, उनसे भी पीछेके सात पुरुषोंकी (पीढ़ियोंको) सगोत्र कहते हैं. तहां सोदक पुरुषोंको तीन दिनका अशौच है और जो सगोत्र हैं वे स्नानमात्र करें. इतनी ही वारका अशौच है अर्थात् अशौचको सुनकर स्नानमात्र कर लेनेसे शुद्धि हो जाती है ।। ५ ।।

**गर्भिण्याः दशाहोत्तरं पुत्रोत्पत्तौ विंशतिदिनानि कन्योत्पत्तौ मासपर्यन्तं कर्मानधिकारः ।। ६ ।।**

जो गर्भिणी स्त्री है. उसके अर्थात् बालकको जननेवाली स्त्रीके पुत्र होनेके बाद १० दिन हुए पीछे २० दिनतक और कन्या होनेके बाद एक महीनातक अशुद्धि रहती है, किसी कर्म करनेका अधिकार नहीं है ।। ६ ।। इति जननाशौचम् ।

**अथ मृताशौचम् ।। तत्र तद्वतामस्पृश्यत्वंकर्मानधिकारश्चे-
त्युभयंभवति ।। मृतजाते शिशौ सर्वेषां सपिंडानां दशाहं**
**त्युभयंभवति ।। मृतजाते शिशौ सर्वेषां सपिंडानां दशाहं**
**जननाशौचं मृताशौचं तु नास्ति ।। ७ ।।**

अब मृताशौच कहते हैं-तहां नरके जननेवालेके सपिंड सात पीढ़ी भीतरके पुरुषोंको अस्पृश्यत्व याने किसी वस्तुको नहीं छूना और कर्म करनेका अनधिकार (अभाव) कहा है. जो मरा हुआ बालक होवे तो संपूर्ण सपिंड पुरुषोंको दश दिन तक जनन अशौच है और उसके मरनेका कुछ अशौच नहीं है ।। ७ ।।

**नालच्छेदनात्पूर्वं शिशौ मृते मातुर्दशाहम् ।। पित्रादिसपिंडानां त्रिरात्रं जननाशौचं मृताशौचं तु नास्ति ।। ८ ।।**

नालच्छेदन हुए पहलेही जो बालक जन्मकर मर जावे उसकी माताको दश दिनतक अशौच है और पिताआदि सपिंड पुरुषों को तीन रात्रिका जन्मका अशौच है और मरनेका कुछ अशौच नहीं ।। ८ ।।

**नालच्छेदादूर्ध्वं शिशुमरणे दशाहं जजनाशौचं सर्वेषां सपिण्डानामस्ति मृताशौचं तु नास्ति ।। ९ ।।**

और नालछेदन किये पीछे बालक मरे तो सब सपिंड पुरुषों को १० दिनका अशौच लगता है, मृतकपनेका अशौच नहीं है ।। ९ ।।

दशाहानंतरं नामकरणात्प्राक्शिशुमरणे स्नानमात्रेण सपिंडानां शुद्धिः मातापित्रोस्त्रिरात्रं पुत्रमृतौ ॥ कन्यामृतौ तु एकाहः ॥ नाम्नः पूर्वं खननमेव नित्यं नोदकदानानि ॥ अलंकरणं तु सर्वत्र भवति ॥ १० ॥

दश दिन पीछे नामकरण कर्म किये पहले बालक मर जावे तो सपिंड पुरुषोंकी शुद्धि स्नानमात्रसे हो जाती है परंतु ऐसे इस पुत्रकी मृत्यु हुई हो तो मातापिताको ३ रात्रिकी अशुद्धि है और कन्याके मरनेमें एक दिनकी अशुद्धि कही है. नामकरण कियेके पहले बालक मर जावे तो उसे गाड़ना ही चाहिये. कुछ जलांजली दान देना योग्य नहीं है और अलंकरण यानेवस्त्रादिक उढ़ाना, तो सभी जगह जान लेना ॥ १० ॥

नामकरणोत्तरं वर्षपर्यंतं दाहखननयोर्विकल्पः ॥ ११ ॥

नामकरणके पीछे वर्षदिनतक दाह और गाड़ना दोनों अधिकार हैं ॥ ११ ॥

नामोत्तरं दंतोत्पत्तेः प्राक् पुत्रमरणे दाहे सपिंडानामेकाहः । खनने तु स्नानाच्छुद्धिः । मातापित्रोरुभयत्रापित्रिरात्रम् । कन्यामृतौ तु त्रिपुरुषसपिंडानामुभयत्रापि स्नानाच्छुद्धिर्मातापित्रोरुभयत्रापि एकाहः ॥ १२ ॥

नामकरण पीछे दांत जामें पहले पुत्रमरणमें दाह किया हो तो सपिंड पुरुषोंको १ दिनकी अशुद्धि और गाड़ा जावे. तो सपिंड पुरुषोंको स्नान मात्र करनेसे शुद्धि है और इन दोनों ही कर्मोंमें

माता पिताको तो तीन रात्रिका अशौच लगता है. कन्याकी मृत्यु हुई होवे तो सपिंड तीन पुरुषोंको उभयत्र याने खननकर्म हो चाहे दाहकर्म किया हो तहां स्नानमात्रसे शुद्धि होती है और माता पिता इन दोनोंको १ दिनका अशौच लगता है ॥ १२ ॥

**दंतोत्पत्तेरूर्ध्वं वर्षत्रयपर्यंतं पुत्रमरणे दाहे खनने वा सपिंडानामेकाहः । मातापित्रोस्त्रिरात्रम् । कन्यामृतौ तु त्रिपुरुषसपिंडानामुभयत्रापि स्नानाच्छुद्धिः॥मातापित्रो-स्त्रिदिनमाशौचम् ॥ १३ ॥ प्रथमवर्षादौ कृतचूडस्य पुत्रस्य मरणे पित्रादिसपिंडानां त्रिदिनमाशौचं नियतम् । दाहश्च नियतः ॥ १४ ॥**

दात जामें पीछे ३ वर्षतक पुत्रके मरणमें दाह कर्म हो या गाड़ा जावे तो भी सपिण्ड पुरुषोंको १ दिनकी अशुद्धि है और माता पिताको ३ दितकी अशुद्धि लगती है और कन्याकी मृत्यु होनेमें तीन पीढ़ीके सपिण्ड पुरुषोंको दोनों कर्मोंमें स्नान-मात्रसे शुद्धि होती है. मातापिताको तीन दिन का पातक लगता है ॥ १३ ॥ पहिले वर्षसे आदि लेकर चूड़ा कर्म हुए पीछे पुत्रकी मृत्यु होय तो पिता आदि सात सपिंड पुरुषोंको ३ दिनका पातक नियमसे लगता है और दाहकर्म भी नियमसे करना ॥१४॥

**त्रिवर्षोर्ध्वं कृतचूडस्याकृतचूडस्य वा पुत्रस्य मरणे प्रागु-पनयनात्पित्रादिसपिण्डानां त्रिदिनमाशौचम् ॥ दाहश्च नियतः ॥ उदकदानादि तूष्णीम् ॥ कृतचूडस्य भूमौ**

**पिण्डदानं तूष्णीम् ॥ १५ ॥ कन्याया वर्षत्रयानंतरं वाग्दानात्प्राङ्मरणेत्रिपुरुषसपिण्डानामेकाहः ॥ मातापित्रोस्त्रिदिनम् ॥ दाहोदकदानादि तूष्णीमेव ॥ १६ ॥**

तीन वर्षके पीछे चूडाकर्म हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो. यज्ञोपवीत संस्कार हुए पहले पुत्रका मरना भया हो तो पिता आदि सपिंड पुरुषोंको तीन दिनकी अशुद्धि लगती है. और दाह करनेका नियम है अवश्य दाह करना चाहिये. और जलांजलिदान चुपका होकर नामगोत्र विना देना चाहिये, और चूड़ाकर्म भी हो लिया हो तो मौन धारणसे ही पृथ्वीपर पिंडदान देना ॥१५॥ तीन वर्षकी अवस्था पीछे संबंध (सगाई) किये पहले कन्या मर जावे तो तीन पीढ़ीके पुरुषोंको एक दिनका पातक और माता पिताको तीन दिनका पातक कहना. और दाह तथा जलांजली दान चुप होकर (नामगोत्रउच्चारण विना) करना चाहिये ॥ १६ ॥

**वाग्दानोत्तरं विवाहात्प्राङ् मृतासु कन्यासु भर्तृकुले पितृकुले च सप्तपुरुषसपिण्डानां पित्रादीनां सर्वेषां त्रिदिनमाशौचम् ॥ दाहोदकदानादि तूष्णीम् ॥ १७ ॥**

संबन्ध होनेके पीछे और विवाह हुएके पहले कन्या मर जावे तो पतिके कुलमें और पिताके कुलमें सपिंड सात ७ सबही पुरुषोंके मातापिताको भी ३ दिनका पातक लगता है और दाह तथा जलांजलि दान आदि कर्म मौन धारणसे करना ॥ १७ ॥

**उपनयनोत्तरं मृतस्य पुरुषस्य सर्वेषां सपिंडानां विप्राणां**

दशाहम् ॥ क्षत्रियाणां द्वादशाहम् ॥ वैश्यानां पञ्चदशाहम् ॥ शूद्राणां मासम् ॥ सच्छूद्राणां मासार्द्धम् ॥ सोदकानां त्रिरात्रम् ॥ गोत्रजानां नस्नानाच्छुद्धिः॥१८ ॥

और ब्राह्मणोंके यज्ञोपवीत हुए पीछे जो मर जावे तो उसका पातक सम्पूर्ण सपिण्ड पुरुषोंको दश दिनका लगता है. क्षत्रियों को बारह दिनका. वैश्योंको पन्द्रह दिनका शूद्रोंको एक महीना का पातक लगता है. और श्रेष्ट शुभ कर्मकरनेवाला विष्णुका भक्त शूद्रको पंद्रह दिनका पातक कहना चाहिये और सोदक पुरुषोंको तीन दिनका पातक और सगोत्र पुरुषोंकी शुद्धि स्नान मात्र से होती है ॥ १८ ॥

विवाहोर्ध्वं कन्यायाः पितृगृहे मरणे मातापित्रोः सोदरभ्रातुश्च त्रिरात्रम् ॥ पितृव्यादीनामेकाहः ॥ १९ ॥

और विवाह हुए पीछे कन्या अपने पिताके घर पर मर जावे तो माता पिता और सोदर भाई इनको तीन दिनका पातक है और कन्याके चचा आदिकोंको एक दिनका लगता है ॥ १९ ॥

ऊढायाः कन्यायाः पितृगृहे प्रसवे मातापित्रोस्त्रिरात्रम् ॥ सोदरस्यैकरात्रम् ॥ पितृव्यादीनामेकाह इतिकेचित्॥ २० ॥

विवाही हुई कन्याके पिताके घरमें संतान जन्मे तो माता पिताको तीन रात्रिका सूतक और सोदर भाई को एक रात्रिका सूतक लगता है और चचा आदिकोंको एक दिनका सूतक लगता है ऐसा कित्येक आचार्योंका मत है ॥ २० ॥

**पतिगृहे प्रसवे पित्रादीनामाशौचं नास्ति ।। २१ ।। ऊढायाः कन्यायाः पतिगृहे मरणे मातापित्रोस्त्रिरात्रम् ।। २२ ।।**

और कन्याके अपने पतिके घरमें बालक होवे तो मातापिता आदिकोंको कुछ भी सूतक नहीं है ।। २१ ।। विवाही हुई कन्या पतिके घरमें मरे तो मातापिताको तीन रात्रिका पातक है है ।। २२ ।।

**मातापित्रोर्मरणे ऊढ-पुत्र्यास्त्रिरात्रं दशाहान्तः श्रवणे ।। दशाहोर्ध्वं कालांतरे वत्सरांतेऽपि पक्षिणी ।। अत्रैव अतिक्रांताशौचं ब्राह्मणवचनाद्भवतिनान्यत्र ।। २३ ।। भ्रातृभगिन्योः परस्परगृहे मरणे परस्परस्य त्रिरात्रम् ।। गृहांतरमृतौ तु परस्परस्य पक्षिणी ।। २४ ।।**

और मातापिताके मरनेमें विवाही हुई कन्याको तीन रात्रिका पातक लगता है यह नियम दशदिन भीतर मृत्युकी खबर पड़ जावे तब है. और दश दिन पीछे कभी कालांतरमें वर्ष दिनमें या कई महीनोंमें सुना जावे तब डेढ़ रात्रिका पातक लगता है. यह अतिक्रांत अशौच कहा है सो ब्राह्मणके वचनसे लगता है, ब्राह्मणसे नहीं पूछा जाय तो अज्ञातमें यह अतिक्रांत अशौच नहीं लगता है ।। २३ ।। भाई और बहिन आपसमें याने भाई बहिनके घर और बहिन भाईके घर मर जाय तो इनको आपसमें तीन २ दिन का पातक लगता है और अपने अपने घरपर मरे हों तो एक २ रात्रिका अशौच है ।। २४ ।।

**मातुलमरणे भगिन्यपत्यस्य पक्षिणी उपकारिमातुलमरणे-तुत्रिरात्रम् ।। २५ ।।**

मामाकी मृत्यु होजाय तब भानजेको १ एक पक्षिणीका अशौच और उपकार करनेवाला (पालक करनेवाला) मामा मर जाय तो तीन रात्रिका पातक लगता है ।। २५ ।।

**मातुलान्या मरणे भर्तृभगिन्यपत्यस्य पक्षिणी ।। २६ ।। उपनीतभागिनेयमरणे मातुलस्य मातुलभगिन्याश्च त्रिरात्रम् ।। अनुपनीते मृते तु मातुलस्य मातुलभगिन्याश्च पक्षिणी ।। २७ ।।**

मामीके मरनेमें उसको एक रात्रिका पातक लगता है ।।२६।। यज्ञोपवीत संस्कार हुए पीछे भानजा मर जाय तो उसके मामाको और मामाकी बहिनको (मौसीको) तीन रात्रि पातक है विना यज्ञोपवीत हुए मरजाय तो इन दोनोंको डेढ रात्रिका पातक लगता है ।। २७ ।।

**मातामहमरणे दुहित्रपत्यस्य त्रिरात्रम् ।। २८ ।। अनुपनीत-दौहित्रमरणे मातामहस्य मातामह्याश्च पक्षिणी ।। उप-नीते मृते तु त्रिरात्रमितिकेचित् ।। २९ ।।**

नानाके मरनेमें दुहिताको तीन रात्रिका पातक है ।। २८ ।। यज्ञोपवीत हुए विना दौहित्र मर जाय तो नाना नानियोंको एक रात्रिका अशौच और यज्ञोपवीत हुए पीछे तीन रात्रिका ऐसे कित्येक आचार्योंका मत है ।। २९ ।।

मातामह्यांमृतायांदुहित्रपत्यस्यपक्षिणी ॥ ३० ॥ श्वश्रूश्वशुरयोर्मृतौ सत्यांजामातुः सन्निधौ त्रिरात्रमसन्निधौ पक्षिणी । ग्रामान्तरे चैकरात्रम् ॥ ३१ ॥

नानीके मरनेमें दौहित्रको देढ़ रात्रिका अशौच लगता है ॥ ३० ॥ सासु ससुर मरजाय तब जमाई (जामाता) पास होवे तो उसको तीन रात्रिका अशौच लगता है, और पास नहीं हो तो डेढ़ रात्रिका अशौच है और किसी दूसरे गांवमें होवे तो एक रात्रिका अशौच लगता है ॥ ३१ ॥

जामातरि मृते तु श्वश्रूश्वशुरयोः स्नानाच्छुद्धिः ॥ एकाहमाशौचमिति केचित् ॥ ३२ ॥ श्यालके मृते भगिनीभर्तुरेकाहः ॥ श्यालकसुतमरणे तु स्नानमात्रम् ॥ ३३ ॥

जमाई मरगया हो तो सासु श्वशुरकी शुद्धि स्नानमात्रसे हो जाती है. कित्येक आचार्य कहते हैं कि एक दिनका सूतक लगता है ॥३२॥ शाला मर गया हो तो बहनोई को एक दिन का पातक है, शालाका पुत्र मर गया हो तो स्नानमात्रसे शुद्धि हो जाती है ॥ ३३ ॥

पितृष्वसरि मृतायां भ्रात्रपत्यस्य पक्षिणी ॥ ३४ ॥ मातृष्वसरि मृतायां स्वस्रपत्यस्य पक्षिणी ॥ ३५ ॥

पिताकी बहिन (भुवा) मरगई हो तो उसके भतीजेको एक रात्रिका पातक लगता है ॥ ३४ ॥ माताकी बहिन (मौसी) मर जाय तो उसका डेढ़ दिनका पातक मानना चाहिये ॥ ३५ ॥

**आत्मनः पितृष्वसृमातृष्वसृमातुलपुत्राः आत्मबांधवाः पितुः पितृष्वसृमातृष्वसृमातुलपुत्राः पितृबांधवाः मातुः मातृष्वसृपितृष्वसृमातुलपुत्रोः मातृबांधवाः ॥ एते त्रिविधा बांधवाः ॥ बंधुत्रये एतेषु मृतेषु पक्षिणी ॥ पितृष्वस्रादि–कन्यानामूढानां मरणे एकाहः ॥ दत्तकमृतौ तु पूर्वापरैरपि ऽस्त्रिरात्रम् ॥ सपिंडानामेकाहः ॥ ३६ ॥**

भुवाके बेटे भाई मौसीके बेटे भाई मामाके बेटे भाई ये अपने बांधव कहलाते हैं, और दादाकी बहिनके पुत्र अथवा पिताके माताकी बहिनके पुत्र अथवा पिताके मामाके पुत्र ये सब 'पितृ बांधव' कहलाते हैं, और नानीकी बहिनके पुत्र नानाकी बहिनके पुत्र माताके मामाके पुत्र ये सब मातृबांधव कहलाते हैं, ऐसे ये तीन प्रकारके बांधव कहे हैं. सो इन बांधवोंमेंसे कोई मर जाय तो पक्षिणी याने डेढ़ रात्रिका पातक लगता है. और पिताकी बहनकी कन्या याने इन भुवा आदिकों की कन्या विवाह हुए पीछे मर जाय तो एक दिनमात्रका पातक लगता है. गोद लिया हुआ पुत्र मर जाय तो पहला और पिछला दोनों पिताओंको तीन रात्रिका पातक लगता है. और (दोनों तर्फके) सपिंड पुरुषोंको एक दिनका पातक है ॥ ३६ ॥

**पूर्वापरपित्रोर्मृतौ दत्तकस्य त्रिरात्रम् ॥ ३७ ॥ दत्तकस्य पुत्रपौत्राणां मरणे जनने वा सपिंडानामेकाहः ॥ ३८ ॥**

गोद लिये हुए पुत्रके पहले वा पिछले मातापिताकी मृत्यु होनेमें तीन रात्रिका पातक लगता है ॥ ३७ ॥ और (गोद

दिये हुए) पुरुषके पुत्र पौत्र आदि मर जावें अथवा जन्म होय तो (दोनों तर्फके) सपिंड पुरुषोंको एक दिनका पातक लगता है ॥ ३८ ॥

**सपिंडे पुत्रीकृते दत्तके मृते तु सपिंडानां दशाह एव ॥३९ ॥ आचार्यमरणे शिष्यस्य त्रिरात्रम् ॥ तत्पुत्रपत्न्योर्मरणे एकाहः ॥ उपनीयाध्यापक आचार्य इत्युच्यते ॥ वेदैकदेशाध्यापक उपाध्यायः ॥ तन्मरणे शिष्यस्यैकरात्रम् ॥ ४० ॥**

यह सब विधि अन्य कुटुंबका पुत्र गोद लिया गया हो उसकी है, और जो सपिंड (सात पीढ़ी) भीतरके जनोंमेंसे किसीका पुत्र गोद लिया जाय तो उसके मरनेमें सब सपिंड पुरुषोंको दश १० ही दिनका पातक लगता है ॥ ३९ ॥ आचार्यके मरनेमें शिष्यको तीन रात्रिका पातक, आचार्यके पुत्र वा स्त्रीके मरनेमें शिष्यको एकदिनका पातक, जो यज्ञोपवीत संस्कार कराके वेदादिक पढ़ावे वह आचार्य कहलाता है. जिसने यज्ञोपवीत नहीं कराया हो वेदका कोई एक भाग पढ़ाया है वह उपाध्याय कहलाता है. उस उपाध्यायके मरनेमें शिष्यको एक दिनका पातक लगता है ॥ ४० ॥

**शिष्यस्योपनीतस्य मरणे गुरोस्त्रिरात्रम् ॥ परोपनीतस्य मरणे तु एकरात्रम् ॥ ४१ ॥**

जिस शिष्यको यज्ञोपवीत संस्कार कराया हो वह शिष्य मर जाय तो गुरुको तीन रात्रिका पातक लगता है. और यज्ञोपवीत

संस्कार दूसरेसे भया हो केवल विद्या पढ़नेवाले शिष्यके मरनेमें एक रात्रि पातक लगता है ।। ४१ ।।

**सहाध्यायिनोर्मृतौ एकग्रामीणयोरनूचानश्रोत्रिययोर्मृतौ नु चैकाहः ।। सांगवेदाध्यायी अनूचानः ।। वेदमात्राध्यायी श्रोत्रियः ।। अध्ययनशब्दार्थस्यार्थज्ञानपर्यवसायित्वं न्यायसिद्धम् ।। ४२ ।।**

सहाध्यायी (साथ पढ़नेवाले) जो कि एक ग्राममें रहनेवाले हों और अनूचान तथा श्रोत्रिय हों उनमें एकको मृत्यु होनेमें एक दिनका पातक उस सहाध्यायी छात्रको लगता है. अंगसहित (व्याकरणादिसहित) वेदको पढ़नेवाला श्रोत्रिय कहलाता है. पढ़ना नाम वेदादिकोंके अर्थ ज्ञानका है ऐसा यह न्यायसिद्ध है ।। ४२ ।।

**असपिंडस्यापि श्रोत्रियस्य मैत्र्यादिसंबंधस्य यद्गृहे मरणं तद्गृहस्वामिन एकरात्रम् ।। ४३ ।। वानप्रस्थे यतौ षंढे च मृते युद्धे च मृते सपिंडानां स्नानमात्रम् ।। ४४ ।।**

असपिंड यानी सात पीढ़ीसे अलग भी जो श्रोत्रिय (वेदपाठी मनुष्य) मित्रता आदि संबंध करके जिस किसीके घरमें आयकर मर जाय तो उस घरके स्वामीको एक रात्रीका अशौच लगता है ।। ४३ ।। वानप्रस्थ, यति (संन्यासी) मर जाय वा नपुंसक मर जाय तथा जो युद्धमें मर जाय उसके सपिंड पुरुषोंको स्नान मात्रका ही पातक लगता है ।। ४४ ।।

**अथातिक्रांताशौचम् ।। तत्र जननेऽतिक्रांताशौचं नास्ति ।। पितुः स्नानं तत्रापि भवति । मृतके तु अनुपनीतमरणादिनिमित्तकत्रिरात्रादिषु भगिनीमातुलादिमरणनिमित्तकत्रिरात्रादिषु चातिक्रांताशौचं नास्ति ।। किंतु दशाहादिमृताशौचविषयमेव ।। ४५ ।।**

अब अतिक्रांत (बीतलिया) अशौचको कहते हैं—तहां परदेशमें बालक जन्मा हो सो मालूम नहीं हो फिर १० दिन पीछे मालूम हो ऐसा यह अतिक्रान्त अशौच होता है. सो जन्मका अतिक्रान्ताशौच नहीं है यानी १० दिन पीछे नहीं है, तहां भी पिताको सुनकर स्नानमात्र करना चाहिये. इसी प्रकार मृतकमें ऐसी विधि है कि यज्ञोपवीत संस्कार जिनका नहीं भया है उनके मरनेका तीन रात्री आदि पातक कहा है; और जो बहिन मामा आदिकोंकी मृत्युमें तीन रात्रिका कहा अशौच है वह अतिक्रान्त अशौच नहीं लगता है अर्थात् तीन दिनके बाद खबर पड़े तब कुछ पातक नहीं लगता. किन्तु यह जो अतिक्रान्त अशौच कहा है सो जिसके मरनेका दश दिनका अशौच लगता हो उसीके विषयमें जानना ।। ४५ ।।

**दशाहमध्ये जनने मरणे ज्ञाते पुत्रादीनां च सर्वेषां शेषेणैव शुद्धिः ।। संस्कारमपि शेषेणैव समापयेत् ।। अस्थिपर्णशरसंस्कारमपि शेषेणैव समापयेत् ।। ४६ ।।**

दश दिन भीतर ही जन्म वा मरण मालूम हो जावे तहां पुत्र आदि सब पुरुषोंकी शुद्धि बाकी रहे दिनोंमें होजाती है. और उस जन्म व मृतक संस्कार को भी बाकी रहे दिनों करके

समाप्त कर देवे. याने जिस दिन खबर पड़े उस दिनसे १० दिन नहीं गिनने चाहिये ।। ४६ ।।

आद्यत्रिरात्रमध्ये समानोदकमरणे ज्ञाते समानोदकानां शेषेणैव शुद्धिः ।। त्रिरात्रेऽतिक्रांते तु दशाहमध्ये ज्ञातेऽपिनाशौचं किंतु स्नानमात्रम्. अयमेव न्यायः मातुलादित्रिरात्रादिषु ज्ञेयः ।। ४७ ।।

जो सपिंडसे आगे समानोदक कहे हैं उनमें कोई मर जावे तहां तीन दिन भीतर मालूम हो जावे तो तीन दिन समाप्त होनेसे शुद्धि होती है और तीन दिन पीछे दश दिन भीतर भी मालूम होनेसे अशौच नहीं लगता है, किन्तु स्नानमात्रसे शुद्धि होती है। यही न्याय जो मामा आदिकोंकी तीन रात्रि आदि अशौच विधि कही है उसमें भी जानना ।। ४७ ।।

मातापित्रोर्मरणे दूरदेशेऽपि संवत्सरांतरमपि श्रवणे पुत्रो दशाहादिपूर्णमेवाशौचं कुर्यात् ।। ४८ ।।

और मातापिताकी मृत्यु होनेमें दूर देशमें भी पुत्र होवे और वर्षदिन पीछे सुने तब भी उस पुत्रको पूरा दश दिनका ही अशौच लगता है ।। ४८ ।।

स्त्रीपुंसयोः परस्परमरणे परस्परं देशांतरे वत्सरांतरेऽपि पूर्णं दशाहादि भवति ।।४९।। सपत्नीषु परस्परमृतौ परस्परस्य देशकालावनपेक्ष्य दशाहं पूर्णमेवाशौचं भवति ।। ५० ।।

स्त्री मरे अथवा स्त्रीका पति मरे तहां देशान्तरमें मृत्यु होनेसे एक वर्ष पीछे भी मालूम हो तो भी उनको पूरा दश दिनका अशौच लगता है ।। ४९ ।। संपत्नी (सौतनी) मरे

तो उन सौतनियोंको परस्पर दश दिनका सूतक लगता है चाहे किसी देशमें और किसी समयमें मालूम होवे ॥ ५० ॥

**सापत्नमातुर्मरणे संवत्सरोर्ध्वमपि देशांतरेऽपि त्रिरात्रम् ॥५१॥**

और मातापिताकी दूसरी पत्नी (दूसरी माता) मर जावे और एक वर्ष पीछे मालूम हो तो पुत्र देशांतरमें भी तीन रात्रिका अशौच माने ॥ ५१ ॥

**औरसपुत्रे मृते संवत्सरोर्ध्वमपि मातापित्रोस्त्रिरात्रम् ॥५२॥**

औरसपुत्र (विवाहित स्त्रीका पुत्र) मर जावे उसके माता पिताको वर्षदिन पीछे मालूम होवे तब उनको तीन दिनका अशौच (पातक) लगता है ॥ ५२ ॥

**दशाहोर्ध्वमेकदेशे ज्ञातिमरणे ज्ञाते मासत्रयपर्यंतं त्रिरात्रम् ॥ षण्मासपर्यंतं पक्षिणी ॥ नवमासपर्यंतमेकदिनं तदनंतरं स्नानमात्रमिति वृद्धवसिष्ठः ॥ पक्षत्रयपर्यंतं त्रिरात्रम् ॥ षण्मासपर्यंतं पक्षिणी ॥ वर्षपर्यंतमेकरात्रम् ॥ तदूर्ध्वं स्नानमात्रमिति माधवो देवलः ॥ अत्रापदनापद्विषयत्वेन व्यवस्था द्रष्टव्या ॥ ५३ ॥**

दश दिन पीछे और तीन महीनों तक जो ज्ञातिका बंधु जैसा पहले कहा है उसकी मृत्यु सुनी जावे तो तीन दिनका अशौच लगता है. छह महीनेतक डेढ़ दिनका और नव महीनेतक १ दिन का अशौच है. इसके पीछे स्नानमात्र करनेसे शुद्धि होजाती है ऐसा वृद्धवसिष्ठजीका वचन है और उसके मरने की खबर डेढ़ महीनेतक हो जाय तो तीन दिनका अशौच, ६ महीने तक डेढ़ दिन वर्षतक एक रात्रिका अशौच लगता है, इसके अन्तर मालूम

होवे तो स्नानमात्रसे शुद्धि हो जाती है ऐसा माधव और देवलका मत है। यहां आपत्तिकाल तथा विना आपत्तिकाल (स्वस्थ और कुछ विपत्ति) ऐसे दो प्रकारकी अवस्थाको देखकर अशौच बतावे अर्थात् विपत्ति कालमें कुछ थोड़ा अशौच लगता है ।।५३ ।।

दशाहोर्ध्वं देशांतरे ज्ञातिमरणे ज्ञाते त्रिपक्षपर्यंतं त्रिरात्रम् ।। ततो मासषट्कपर्यंतमहोरात्रम् ।। ततो वर्षपर्यंतं दिवा श्रवणे आसायं रात्रिश्रवणे आप्रातराशौचम् ।। संवत्सरांते तु स्नानाच्छुद्धिः ।। इदं सर्वमतिक्रांताशौचं सर्ववर्ण-साधारणम् ।। अत्र देशांतरे ज्ञातिमृते ज्ञाते स्नानाच्छु-द्धिरिति केचित् ।। तन्माधवोदाहृतविष्णुस्मृत्यज्ञानविल-सितमिति ज्ञेयम् ।। देशांतरं तु विप्रस्य विंशतियोजनांतरं क्षत्रियस्य चतुर्विंशतियोजनांतरं वैश्यस्य सच्छूद्रस्य च त्रिंशद्योजनांतरमसच्छूद्रस्य षष्टियोजनांतरं ज्ञेयम् ।। पक्षांतराणि तु उक्त पक्षानुसारेण ज्ञातव्यानि ।। ५४ ।।

दश दिन पीछे और डेढ़ महीनातक ज्ञातिमृत्युकी खबर होवे तब तीन रात्रिका अशौच लगता है और छह महीनोंतक एक दिन रात्रिका अशौच लगता है, फिर वर्षतक दिनमें सुने तो दिन छिपेतक और रात्रिमें सुनेतो प्रातःकालतक अशौच लगता है; वर्ष दिन पीछे सुने तो स्नानमात्रसे शुद्धि होती है। यह संपूर्ण अतिक्रांत अशौच अर्थात् दश दिन पीछे मालूम होनेका अशौच संपूर्ण वर्णोंको समान ही लगता है. यहां कितनेक आचार्य ऐसे कहते हैं कि, ज्ञाति बंधु देशांतरमें मर जाय तो सुनकर स्नान

मात्रसे शुद्धि होजाती है सो यह वचन माधवाचार्यकी कही हुई विष्णुस्मृतिके विरुद्ध है ऐसा जानना। बीस योजन दूर ब्राह्मण का देशांतर कहा है और क्षत्रियका चौवीस योजनपर, वैश्यका तथा उत्तम शूद्रका. तीस योजनपर देशान्तर जानना, और अधम शूद्रका साठ ६० योजनपर मृत्यु हुई हो वह देशान्तर जानना, एक योजन चार कोसका होता है. फिर इस विषयमें जो पक्ष कहे हैं वे सब कहे हुए पक्षके अनुसार जानने चाहिये ॥ ५४ ॥

**अत्रायं निष्कर्षः ॥ यानि एकगोत्रविषयकजननमरणातिक्रांताशौचानितानि जायापतिभ्यामुभाभ्यामविशेषेणानुष्ठेयानि ॥ यानि पुनर्भगिनीमातुलादिभिन्नगोत्राशौचानि तेषु जायापतिमध्ये तत्संबंधं यत्तत्तेनैवानुष्ठेयं नोभाभ्यामिति ॥ ५५ ॥**

यहां यह निष्कर्ष (निचोड) है कि जो गोत्रविषय, जन्म मरण अतिक्रांत अशौच कहे हैं सो सब स्त्री पुरुष दोनोंको समान लगते हैं और जो बहिन मामा आदि भिन्न (जुदे) गोत्रके अशौच हैं उनमें तो स्त्रीका वा उसके पतिका जौनसा संबन्ध हो उसीको मानना चाहिये दोनोंका समान नहीं मानना ॥ ५५ ॥

**आहिताग्नेर्मंत्रवद्दाहदिनमारभ्यपुत्रादिभिरशौचं कार्यम् ॥५६॥**

जो अग्निहोत्री पुरुष मरजाय तो उसका मंत्रपूर्वक दाहके दिनके अनंतर पुत्रादिकोंको अशौच लगता है॥ ५६ ॥

**आहिताग्नौ प्रोषिते मृते मंत्रवद्दाहात्पूर्वं पुत्रादीनां नाशौचं संध्यादिकर्मलोपश्च नास्ति ॥ ५७ ॥**

और वह अग्निहोत्री पुरुष परदेशमें जायकर मर जाय तो

खबर हुए पहले तथा मंत्रपूर्वक दाह कर्म किये बिना पुत्र आदिकों को अशौच नहीं लगता है और संध्या आदि कर्मका लोप भी नहीं होता है ।। ५७ ।।

**अनाहिताग्नेस्तु मरणदिनमारभ्य पुत्रादिभिरशौचं कार्यम् ।।५८।।**

जो अग्निहोत्र कर्म नहीं करता हो उसके मरनेके दिनसे ही पुत्र आदिकोंको अशौच मानना चाहिये ।। ५८ ।।

**अथ रात्रौ जनने मरणे वा रात्रिं त्रिभागां कृत्वाऽऽद्यभागद्वये चेत्पूर्वम् तृतीयभागे चेदुत्तरदिनमारभ्याशौचं कार्यम् ।। अर्धरात्रात्प्राक् पूर्वदिनं परत उत्तरदिनम् ।। प्राक्सूर्योदयात्पूर्वदिनम् ।। पूर्वमुत्तरमिति पक्षत्रयं देशांतरतो व्यवस्थितम् ।। महाराष्ट्रदेशे तु आद्यपक्ष एव चलति ।।५९।।**

इति त्र्यंबकीयेऽतिक्रांताशौचनिर्णयः

रात्रिमें जन्म होवे अथवा मरण होवे तहां रात्रिके तीन भाग करना तहां पहले दो भागोंमें पहला दिन मानना और पिछले तीसरे भागमें हो तो पिछले दिनसे अशौच गिनना चाहिये । अथवा अर्धरात्री पहले पूर्व दिन और अर्धरात्री पीछे पिछला दिन अथवा सूर्य उदय हुए पहले पूर्व दिन और सूर्य उदय हुए पीछे पिछला दिन ग्रहण करना ऐसे ये तीन पक्ष देश देशांतरकी व्यवस्था से जानने, तहां महाराष्ट्र देशमें तो जो पहला पक्ष कहा है वही व्यवस्था जाननी चाहिये ।। ५९ ।।

इति श्रीत्र्यंबकीये हिन्दीटीकायामतिक्रांताशौचनिर्णयः ।। २ ।।

# अथाशौचसम्पाते निर्णयः

**तत्र दशाहसूतके दशाहं ततो न्यूनं वा मृतकमुपस्थितं भवति तदा पूर्वशेषेण शुद्धिः ॥ ६० ॥**

अब अशौचसंपातमें (सूतक पातक मिलनेमें) निर्णय कहते हैं—जिनका दश २ दिनका ही पातक लगता हो ऐसे एकके पीछे दूसरेकी मृत्यु हो जाय तो उस दूसरेके १० दशवें दिनतक अशौच है और दशदिन लगनेवाले पातकमें न्यून कुछ कुछ कम ३ दिन आदिका पातक होवे तो पहले पातकके साथ ही निवृत्त होकर शुद्धि हो जाती है ॥ ६० ॥

**दशाहे सूतके दशाहं ततो न्यूनं वा सूतकं पतति तदा पूर्वशेषेण शुद्धिः ॥ ६१ ॥**

सूतकमें जो पूरा १० दिनका सूतक हो जावे तो वह अगले १० दिनोंमें निवृत्त हो जाता है और न्यून अल्प सूतक होय ता पूरे १० दिनके सूतकके साथ ही निवृत्त हो जाता है ॥ ६१ ॥

**सूतकमध्ये दशाहं न्यूनं वा मृतकं पतति तस्य न पूर्वेण शुद्धिः ॥ तत्र सूतकस्यावशिष्टत्वे तु मृतकसमाप्त्या सूतकमपि समापनीयम् ॥ ६२ ॥**

सूतकमें दशदिनतकका पातक अथवा अल्पपातक हो जाय तो पूर्व सूतकके साथ निवृत्त नहीं होता है. किंतु अपनी संख्या पूरी होनेके दिन निवृत्त होता है. तहां ऐसी व्यवस्था है कि, मृतक पातककी निवृत्तिके साथ ही सूतककी भी निवृत्ति हो जाती है ॥ ६२ ॥

त्र्यहादिरूपे मृतके सूतके च दशाहमृतकपाते च दशाहसूत-कपाते च न पूर्वेण शुद्धिः ।। ६२ ।

परंतु तीन दिन आदिका जो स्वल्प पातक सूतक हो उसमें पूरा १० दिनका मृतक पातक अथवा अल्प सूतकमें पूरा १० दिनका सूतक हो जाय तो वह पहलेके साथ निवृत्त नहीं होता है ।। ६३ ।।

मृतके सूतकस्य समन्यूनस्य वा संपाते पूर्वेण शुद्धिः ।। ६४ ।।

और मृतक यानी पातकमें पातकके समान अथवा अल्प पातक होय तो उसकी शुद्धि पहले पातकी निवृत्तिमें ही हो जाती है ।। ६४ ।।

अधिकस्यापि मृतकस्य शुद्धिरिति शुद्धिविवेककारः ।। ६५ ।।

अधिक सूतककी भी निवृत्ति स्वल्प पातकके साथ ही हो जाती है ऐसा शुद्धिविवेककारका मत है ।। ६५ ।।

पूर्वाशौचमध्ये उत्पन्नमपि पूर्वाशौचोत्तरं ज्ञातं चेदुत्तरमेव कार्यम् ।। दशाहान्त्यरात्रौ यदि दशाहं सूतकं पतति तदा दिनद्वयमधिकं कार्यम् ।। सा रात्रिः परेद्युश्च ।। ६६ ।।

पहले अशौचमें ही जो सूतक हुआ हो परंतु अशौच निवृत्त हो जाय तब खबर पड़े तो उस सूतककी पूरी अवधि लेवे तब ही शुद्धि होती है और पातकके दशवें दिनकी रात्रीमें दशदिनका सूतक आ पड़े तो वह रात्री और अगला दिन रात्रि ऐसे दो दिन अधिक बढ़कर पातक सूतककी निवृत्ति होती है ।। ६६ ।।

दशाहान्त्यरात्रिचतुर्थयामे यदि दशाहमाशौचं पतेत्तदा दिनत्रयमधिकं कार्यम् ।। ६७ ।।

और दशवें दिनकी रात्रिमें दश दिनका सूतक आ पड़े तो तीन दिन अधिक करने ।। ६७ ।।

**त्र्यहाद्यशौचानां परस्परं रात्रिशेषे संपाते पूर्वेणैव शुद्धिः न द्व्यहादिवृद्धिः ।।६८।।**

और तीन दिन आदिके जो अल्प अशौच कहे हैं उनकी एक रात्री बाकी रही हो तहां तीन दिनतक अल्प अशौच (सूतक) आपड़े तो उस पूर्व रात्रिके साथ ही निवृत्त हो जाता है. दो दिन बढ़ाने नहीं चाहिये ।। ६८ ।।

**वर्धिते द्वित्रिदिनमध्ये अशौचांतरसंपाते अधिकस्य न पूर्वेण शुद्धिः ।। समन्यूनयोस्तु पूर्वेण शुद्धिः ।। ६९ ।।**

और पातकके जो दो या तीन बढ़ाये हैं उसमें फिर दूसरा पूरा अशौच (सूतक) आजाय तो वह उस पहलेके साथ निवृत्त नहीं होता है और उस दो तीन दिनके बराबर अथवा अल्प अशौच आजाय तो पहलेके साथ ही निवृत्त हो जाता है ।। ६९ ।।

**सपिंडाशौचेन मातृपितृभर्तॄणामाशौचं नापैति ।। ७० ।।**

कोई सपिंड अशौच पहलेका हो रहा हो तो उसके साथ माता, पिता, स्त्रीका भर्ता, इनकी मृत्युका अशौच इनसे दूर नहीं होता है; किंतु अन्यसपिंडोंके पुरुषोंका दूर हो जाता है ।। ७० ।।

**मात्राशौचमध्ये पित्राशौचपाते पूर्वशेषेण शुद्धिः ।। ७१ ।।**

माताके अशौचमें पिताका अशौच आपड़े तो पहलेकी निवृत्ति के साथ ही शुद्धि हो जाती है ।। ७१ ।।

**पितुः संपूर्णाशौचेन शुद्धिरित्यन्ये ।। तेषां शेषपदस्य पूर्ण-**

**परत्वं लाक्षणिकम् ।। पित्राशौचमध्ये मातृमरणे तु पित्राशौचं समाप्य पक्षिणीमधिकं कुर्यात् ।। ७२ ।।**

कितनेक आचार्य कहते हैं कि पिताका संपूर्ण अशौच पूरा हो ले तभी शुद्धि होती है । तिनके मतमें शेष पदका अर्थ पूरा १० दिन होनेका जानना और पिता मरनेके पातकमें माता मर जाय तो पिताके पातक निवृत्त हुए पीछे डेढ़ दिन अधिक बढ़कर माता का अशौच निवृत्त हो जाता है ।। ७२ ।।

**इदं दशमरात्रेरर्वाग्भवति ।। दशमरात्र्यां तद्रात्रिचतुर्थयामे मातृमरणे तु द्व्यहं त्र्यहं वेति न पक्षिणी ।। ७३ ।।**

यह संपूर्ण व्यवहार दश दिनके भीतर ही अशौच होवे उसका जानना. पिता मरनेसे दशवीं रात्रिमें उसके चौथे प्रहरमें माता की मृत्यु हो जाय तो दो दिन अथवा तीन दिन बढ़ाने चाहिये डेढ़ही दिन नहीं बढ़ाने चाहिये ।। ७३ ।।

**मातुर्भर्त्रा सहान्वारोहणे तु नाधिका पक्षिणी ।। पूर्वाशौचेन शुद्धिः ।। ७४ ।।**

जो माता एक रात्री पीछे मरी हो परंतु भर्ताके साथ सती हुई हो तो अधिक डेढ़ रात्रीका पातक नहीं बढ़ावे किन्तु पूर्वाशौच (पिताका पातक) के साथ शुद्धि हो जाती है ।। ७४ ।।

**सूतिकायामग्निदे प्रेतपुत्रेषु च नास्ति ।। अत्र प्रेतपुत्रेति पुनर्ग्रहणं वचनांतरानुरोधेन ।। ७५ ।।**

और प्रसूतिका स्त्री तथा दाहक्रिया करनेवाला मनुष्य और मरनेवालेके पुत्र इन्होंका अशौच पहला (दूसरे) अशौच के

साथ निवृत्त नहीं होता है। यहां दूसरे वचनकी अपेक्षासे यह फिर कहा है ॥ ७५ ॥

**सूतके मृतकपाते न पिण्डदाने प्रतिबन्धः। मृतके सूतकसंपाते जातकर्मादि तदानीमाशौचांते वा कुर्यादिति विकल्पः ॥ ७६ ॥**

सूतकमें मृत्यु हो जाय तो सूतकके वास्ते पिंड देनेमें दोष नहीं है। और मृत्युका पातक होरहा हो तहां सूतक हो जाय तो जातकर्म आदि संस्कार उसी वक्त करदेना अथवा अशौच निवृत्त होजाय तब करे ऐंसे विकल्प याने दोनों पक्ष हैं ॥ ७६ ॥

**मातुर्वाधिका पक्षिणी तन्मध्ये पितुरेकादशाहं श्राद्धं कुर्यात्॥७७॥**

अथवा पिताके पातकसे अधिक डेढ़ दिन माताके पातकको जानना और उसी अवधिमें (११ दिन) पिताका एकादशाह श्राद्ध करे ॥ ७७ ॥

**शवस्पर्शे दिवा चेन्नक्षत्रदर्शनाच्छुद्धिः॥ रात्रौ चेत्सूर्यदर्शनात्॥ तदन्नाशनेतद्गृहवासे यावत्तेषामशौचं तावदाशौचम् ॥७८॥**

दिनमें मुरदेका स्पर्श किया हो तो नक्षत्र (तारे) दीखें तब शुद्धि होती है। रात्रिमें मुरदा स्पर्श किया हो तो प्रातःकाल सूर्यका दर्शन करनेसे शुद्धि होती है और उन पातकी पुरुषोंके घरका भोजन करनेमें तथा उनके घरोंमें वास करनेमें जबतक उनका पातक रहे तबतक उस दूसरेको भी अशौच रहता है ॥ ७८ ॥

**संसर्गाशौचे कर्माधिकारो नास्ति॥ किंतु अस्पृश्यत्वमात्रम् ॥ ७९ ॥**

इस प्रकार यह संसर्ग अशौच याने पातकी पुरुषमें रहनेवाले को अपना कर्म करनेका दोष नहीं है स्नान करके कर्म करे. किन्तु जबतक उनका संसर्ग रखे तबतक अस्पृश्यमात्र दोष है यानी शरीरकी अशुद्धि रहती है ॥ ७९ ॥

**तद्गृह्याणां तद्द्रव्याणां नाशौचसम्बन्धः ॥ ८० ॥**

और उस संसर्गी पुरुषके घरके आदमी तथा घरकी वस्तुओं की अशुद्धि (अशौच) नहीं होती है ॥ ८० ॥

**स्नेहेन सवर्णनिर्हारे तदन्नाशने तद्गृहवासे च दशाहः ॥**
**तदन्नानशने तद्गृहवासे त्र्यहः ॥ ८१ ॥**

स्नेह करके अपनी जातिके मुरदेको कन्धेपर ले जावे और उसके घरका भोजन करे उसीके घरमें रहे तो उसको दश दिनका अशौच लगता है. जो उसके घरका भोजन नहीं करे फकत उस पातकीके घरमें निवास करे तो तीन दिनका पातक लगता है ॥ ८१ ॥

**अगृहवासेऽन्नाभक्षणे निर्हरणमात्रे कृते चैकाहः ॥ ८२ ॥**

जो उसके घरमें वास नहीं करे और अन्न भोजन नहीं करे फकत मुरदेको कन्धेपर ले जाय तो उसको एक दिनका अशौच लगता है ॥ ८२ ॥

**भृतिग्रहणे सवर्णनिर्हारे दाहे च तज्जात्याशौचं दशाहादि ॥८३॥**

जो कुछ मूल्य (नौकरी) लेकर अपनी जातिके मुरदेको कन्धे पर ले जाय और उसका दाहकर्म करे तो उसकी जातिका दश दिन वा १५ दिनका जैसा पातक कहा है वही पूरा पातक लगे ॥ ८३ ॥

विजातीयनिर्हारे विजातीयदाहे च शवजातीयमाशौचम् ॥ भृतिग्रहणे विजातीयनिर्हारे दाहे च शवजातीयाद्द्विगुणम् ॥ ८४ ॥

जो दूसरी जातिके मुरदेको कंधेपर लेजाय और उसका दाह कर्म करे तो जिस जातिका मुरदा हो उसमें जो पातक कहा है उतने ही दिनका पातक लगे और जो मूल्य (नौकरी) लेकर दूसरी जातिके मुरदेको कंधापर ले जावे तथा दाहकर्म करे तो मुरदाकी जातिका जितना पातक हो उससे दूना पातक लगे॥८४॥

सोदकनिर्हारे दशाहः ॥ ८५ ॥

सात पीढ़ीसे आगे सोदक कहे हैं उनमेंसे किसी मुर्दाको कंधे पर ले जाय तो १० दिनका पातक लगे ॥ ८५ ॥

असपिंडालंकरणे अज्ञानादुपवासः । अशक्तौ स्नानम् ॥ ज्ञानतः पादकृच्छ्रम् ॥ ८६ ॥

सपिंड (सात पीढ़ी) से अलग हो उस मुरदेका स्नान आदि अलंकार अज्ञानसे कर देवे तो एक दिन निराहार व्रत करे, शक्ति नहीं होय तो सचैल स्नान करे, जो जानकर उसका अलंकार किया हो तो पादकृच्छ्र व्रत करनेसे शुद्धि होती है ॥ ८६ ॥

धर्मार्थमनाथसवर्णशवनिर्हरणे क्रियाकरणेऽग्निदाने च द्विजस्य अनंतफलम् ॥ स्नानाच्छुद्धिः प्राणायामोऽग्निस्पर्शश्च ॥८७॥

धर्मके वास्ते अपनी जातिके अनाथ मुरदेको कंधे पर ले जाय उसकी दाहक्रिया करे तो ब्राह्मणको अनंतगुणा फल हो और स्नानमात्रसे शुद्धि हो जाती है, प्राणायाम कर लेना चाहिये. अग्निको स्पर्श करना ॥ ८७ ॥

**धर्मार्थमनाथसवर्णनिर्हरणादावपि मातुलादिसंबंधे सति त्रिरात्रमाशौचम् ॥ ८८ ॥**

और धर्मके वास्ते अपने वर्णके अनाथ मुरदेको कंधेपर ले जाय तथा दाहकर्म करे तहां उसका कुछ मामा आदि कोई नाता (संबंध) होय तो तीन रात्रिका अशौच लगता है ॥ ८८ ॥

**अनुगमने तु सपिंडे न दोषः ॥ असपिंडेऽपि अनाथ क्रियायां न दोषः ॥ ८९ ॥**

सपिंड पुरुषके दाहमें जानेका कुछ दोष नहीं है और जो अनाथ हो ऐसे असपिंड मुरदाके साथ जानेका भी दोष नहीं है तथा उसकी क्रिया करनेमें भी दोष नहीं है ॥ ८९ ॥

**समोत्कृष्टवर्णीयशवानुगमने स्नात्वा हुताशं स्पृष्ट्वा सर्पिः प्राश्य पुनः स्नात्वा प्राणायामं कुर्यात् ॥ ९० ॥**

अपने वर्णके तथा उत्तमवर्णके मुरदाके साथ जाकर स्नानकर अग्निको स्पर्श करे घृतका आचमन करे फिर स्नान करके प्राणायाम करे ॥ ९० ॥

**हीनवर्णशवानुगमने क्षत्त्रिये एकाहः । वैश्ये पक्षिणी । शूद्रे त्रिरात्रम् । पूर्ववत्स्नानादि च ॥ ९१ ॥**

हीन वर्णके मुरदाके साथ जानेमें क्षत्रियके एक दिनकी अशुद्धि, वैश्यके डेढ़ दिनकी अशुद्धि और शूद्रमुरदाके साथ जानेमें तीन दिनकी अशुद्धि रहती है फिर पहले कहे हुए की तरह स्नान आदि करनेसे शुद्धि होती है ॥ ९१ ॥

**ब्रह्मचारिणः सपिंडमरणे नाशौचम् । नान्यस्य निर्हारदाहाद्यौर्ध्वदेहिकेऽधिकारः ॥ ९२ ॥**

ब्रह्मचारीको सपिंड पुरुष मरनेका पातक नहीं है और ब्रह्मचारीको अन्य किसी मुरदाको ले जानेमें तथा दाह आदि क्रिया करनेका अधिकार नहीं है ॥ ९२ ॥

**तत्करणे पुनरुपनयनम् ॥ कृच्छ्रादिप्रायश्चित्तम् ॥ ९३ ॥**

और जो वह ब्रह्मचारी किसीकी दाहादिक्रिया करे तो फिर उपनयन संस्कार और कृच्छ्रचांद्रायण आदि प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होवे है ॥ ९३ ॥

**ब्रह्मचारिणः पितृमात्राचार्योपाध्यायमातामहानामंत्यकर्मकरणे न दोषः । तत्र दशाहमस्पृश्यत्वलक्षणमाशौचम् ॥९४॥**

ब्रह्मचारीको पिता माता आचार्य उपाध्याय (जिससे पढ़ता हो वह) मातामह (नाना) इनकी अंत्यक्रिया करनेका दोष नहीं है तहां दश दिनतक अस्पृश्य लक्षण (स्पर्शके अयोग्य अशौच है ॥ ९४ ॥

**दशदिनं संध्याग्निकार्यादिकर्माधिकारोऽस्त्येव ॥ ९५ ॥**

और दश दिनोंमें उस ब्रह्मचारीको संध्या तथा अग्निहोत्र कर्मका अधिकार रहता ही है ॥ ९५ ॥

**एकदिनमस्पृश्यत्वमिति माधवः ॥ ९६ ॥**

माधवाचार्यका यह मत है कि उस ब्रह्मचारीको एक दिन ही अस्पृश्यपनाका अशौच है ॥ ९६ ॥

**पित्राद्यशौचेऽपि नाशौचिनामन्नं ब्रह्मचारी भक्षयेत् ॥ भक्षणे तु पुनरुपनयनम् ॥ ९७ ॥**

और पिता आदिके अशौचमें भी वह ब्रह्मचारी अशौचवाले

अपने भाइयोंके घरका भोजन नहीं करे और उन अशौचवालोंके घरका भोजन करे तो फिर उपनयनसंस्कार होनेसे शुद्ध होता है ॥ ९७ ॥

**ब्रह्मचारिणः पित्राद्यंतकर्माकरणे तु पित्रादिमरणेऽपि नाशौचम् ॥ ९८ ॥**

और ब्रह्मचारी पिता आदिका दाहकर्म आदि अंत्यकर्म नहीं करे तो ब्रह्मचारीके पिता आदिकोंके मरनेमें भी अशौच नहीं लगता है ॥ ९८ ॥

**समावर्तनोत्तरं पूर्वमृतानां त्रिदिनाशौचं कार्यमेव ॥ ९९ ॥**

और ब्रह्मचर्य पूरा हो ले फिर समावर्तन कर्मके अनंतर (गृहस्थाश्रममें आवे तब) पहले मरे हुओंका तीन दिनका अशौच धरना ॥ ९९ ॥

**कृतजीवच्छ्राद्धेन किमप्यशौचं न कार्यमिति हेमाद्रिः ॥१००॥**

जीता हुआ अपनी क्रिया करता हो उसका कुछ भी अशौच नहीं मानना ऐसा हेमाद्रिका मत है ॥ १०० ॥

**वानप्रस्थयतिपतितयोरपि किमप्यशौचं न कार्यम् ॥ तेषामपीतरैर्नकार्यम् ॥ १०१ ॥**

और वानप्रस्थ, यति, पतित, पुरुष इनका कुछ भी अशौच नहीं करना अर्थात् इनके नहीं लगता है और इनके मरनेका अशौच अन्य भाई-बंधुओंको भी नहीं मानना चाहिये ॥ १०१ ॥

**परेषां सर्ववर्णानामौर्ध्वदेहिककरणे तज्जात्यशौचं कृत्वा कृच्छ्रत्रयाच्छुद्धिः ॥ १०२ ॥**

दूसरी जातिवाले अन्यजनोंकी औध्र्वदेहिक क्रिया करनेवाले पुरुषके जिस वर्णके मनुष्यकी क्रिया करे उसके कहे हुए प्रमाण अशौच लगता है फिर वह तीन कृच्छ्र व्रत करे तव उसकी शुद्धि हो ।। १०२ ।।

**हीनवर्णौर्ध्वदेहिककरणे तु शवजातीयमाशौचं कृत्वा कृच्छ्रत्रयद्वैगुण्याद्धूह्यम् ।। १०३ ।।**

और हीनवर्णवाले मृतककी औध्र्वदेहिक क्रिया करके मुर्दाकी जातिका अशौच मानकर पीछे छः कृच्छ्रव्रत करनेसे शुद्धि होती है ।। १०३ ।।

**आहिताग्नेरस्थिदाहे प्रतिकृतिदाहे वा सर्वसपिंडानां दशाहाद्याशौचम् ।। १०४ ।।**

अग्निहोत्री पुरुषका अस्थिदाह कर्म अथवा पुत्तल विधानकर्म के अनंतर संपूर्ण सपिंड पुरुषों के दश दिनका अशौच लगता है ।। १०४ ।।

**अनाहिताग्नेस्तु अग्निदाहे पर्णशरदाहे च पत्नीपुत्रयोः पूर्वमगृहीताशौचयोः दशाहिकं पूर्णमेव ।। गृहीताशौचयोस्तु तयोरपि संस्कारकाले त्रिरात्रम् ।। १०५ ।।**

और जो अग्निहोत्री नहीं हो उसके मरनेके बाद उसकी स्त्रीने और उसके पुत्रने अशौच नहीं माना हो फिर खबर पड़े तब उसका अस्थिदाह किया जावे अथवा पुत्तलविधान किया जावे तो पूरा दश दिनका ही पातक लगे और जो पहले मृत्यु

सुनकर पातक मानलिया हो तो तो फिर संस्कारक्रिया करनेके समय तीन रात्रिका अशौच लगता है ।। १०५ ।।

**पत्नीसंस्कारे पत्युश्चैवम् ।। सपत्न्योर्मिथश्चैवम् ।। १०६ ।।**

स्त्रीके संस्कार करनेमें पतिको भी इसी प्रकार अशौच मानना और सौतनोंको भी आपसमें इसी प्रकार पूरा मानना ।। १०६ ।।

**अन्यसपिंडानां पूर्वमगृहीताशौचानामनाहिताग्निसंस्कारकाले त्रिरात्रम् ।। पूर्वगृहीता शौचानां तु सपिंडानां संस्कारकाले स्नानमात्रम् ।। १०७ ।।**

अन्य सपिंडपुरुषोंको पहिले अशौच नहीं माना हो तो विना अग्निहोत्र पुरुषका भी पुत्तल विधान आदि संस्कार समयमें उनके तीन दिनका अशौच लगता है और सपिंडके पुरुषोंने पहले अशौच मान लिया हो तो संस्कार क्रिया समयमें उनको स्नानमात्र करना चाहिये ।। १०७ ।।

**इदं त्रिरात्रादिकं दशाहोर्ध्वसंस्कारकरणे ज्ञेयम् ।। दशाहमध्ये तु शेषदिवसैरेवाशौचसिद्धेरुक्तत्वात् ।। १०८ ।।**

यह तीन रात्रि आदिका जो अशौच कहा है सो दश दिन पीछे मालूम हुई हो उसके संस्कारमें कहा है क्योंकि दश दिन भीतर सुननेमें तो बाकी रहे दिनों करके ही शुद्धि कह चुके हैं ।। १०८ ।।

**रजस्वलायास्तु विंशतिदिनोत्तरं प्रायशो रजोदर्शनं भवति तस्याः सप्तदशदिनपर्यंतं पुनः रजो दृष्टौ स्नानमात्रम् ।। अष्टादशे एकरात्रम् ।। एकोनविंशे द्विदिनम् ।। विंशतिप्रभृति दिनत्रयम् ।। १०९ ।।**

रजस्वला स्त्रीके विशेष करके बीस दिन पीछे रज दीखता है. फिर यदि सत्रह दिन भीतर उसके रज दीख आवे तो स्नानमात्रसे शुद्धि होती है. और १८ दिन १ रात्रि १९ दिन २ दिन फिर २० वीस दिनसे आगे रजस्वला होय तो तीन दिनकी अशुद्धि होती है ।। १०९ ।।

**यस्यास्तु विंशतिदिनादर्वाक्प्रायशो रजोदर्शनं भवति तस्याः दशदिनपर्यंतं स्नानमात्रम् ।। एकादशे एकरात्रं द्वादशे द्विरात्रं त्रयोदशादारभ्य त्रिरात्रम् ।। ११० ।।**

**इति त्र्यंबकीये अशौचनिर्णये दशोत्तरशततमोंऽशः ।। ११० ।।**

जो स्त्री विशेष करके बीस दिन पहले रजस्वला हुआ करती है उसकी यह व्यवस्था है कि, दशदिन भीतर हो तो स्नानमात्र, ११ दिन १ रात्रि, १२ दिन २ रात्रि, १३ दिनसे आदि लेकर ३ रात्रि अशुद्ध रहती है ।। ११० ।।

**अत्र मूलवचनानि मिताक्षरादिनिबन्धेभ्यो ज्ञेयानि ।। तानि विस्तरभिया बालानां दुरधिगमत्वाच्च न लिखितानि ।। इत्यशौचनिर्णयः ।।**

यहां मूलवचन याज्ञवल्क्य आदि स्मृतिधर्मशास्त्र आदिकोंसे लिखे हैं सो उनका नाम प्रमाण ग्रंथके बढ़नेके भयसे वा

बालकोंकी (अल्पबुद्धि बालोंकी) बुद्धिमें मुश्किलसे आते इसलिये नहीं लिखे हैं ।।

इति श्रीवेरीनगरनिवासिद्विजशालिग्रामात्मजबुधवसतिरामविरचितहिन्दीटीकायामशौचनिर्णयः समाप्तः ।

---

हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान :

**खेमराज श्रीकृष्णदास**
अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस,
९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग,
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर,
मुंबई - ४०० ००४.
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६.

**खेमराज श्रीकृष्णदास**
६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट,
पुणे - ४११ ०१३.
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५,
फैक्स -०२०-२६८७४९०७.

**गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,**
**लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो**
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग,
जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक,
कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३०१
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१.

**खेमराज श्रीकृष्णदास**
चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१.
दूरभाष - ०५४२-२४२००७८

KHEMRAJ SHRIKRISHNADASS